RDSA MINING LLP
LLPIN : AAE - 1008

Ref. No. RDSA/Mines/21-22/04 Date-02-05-22

श्रीमान,
उप वन संरक्षक महोदय
प्रतापगढ़ (राजस्थान)

विषयः– Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village- Kelamela, Tehsil- Pipalkhunt,Dist- Pratapgarh, Rajasthan (Proposal no- FP/RJ/MIN/142600/2021)

सन्दर्भ– आपका पत्र कमांकः–एफ,/तक/उवसं/2021–22/9149 दिनांक 13.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में वर्णित कमियों को पूर्ति करते हुए निम्नानुसार बिन्दुवार प्रत्युतर प्रस्तुत है।

1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वन भूमि सेट अर्पाट किये जाने हेतु जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ द्वारा पत्र कंमाक राजस्व/FRA–2006/विपथन/2021–22/34–35 दिनांक 12–01–2022 जारी कर उनके पत्र कंमाक राजस्व/FRA–2006/विपथन/2021–22/2117 दिनांक 28–04–2022 द्वारा तरमीम में वान्छित संशोधन की पालना भी प्रस्तुत कि गई है। जिनकी प्रतियां सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न प्रस्तुत हैं।
2. राजस्व मानचित्र पर जियो रेफरेन्स की हार्ड प्रति सलंग्न प्रस्तुत है।
3. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जारी दिशा निदेर्शिका के अध्याय 7 के पेरा संख्या 8 के सम्बन्ध में चाही गई सूचनांए निम्नानुसार प्रस्तुत है।

i– प्रत्यावर्तन हेतु चिनहित की गई वन भूमि के अलावा शेष वन क्षेत्र मे परिवहन न करने एवं कार्य करने वाले श्रमिकों के द्वारा किसी भी प्रकार की हानि न पहुचाने सम्बन्धी अन्डर टेकिग/शपथ पत्र यद्यपि फार्म A पार्ट 1 के साथ प्रस्तुत किया गया था पुनः संलग्न प्रस्तुत है।

ii- यूजर एजेन्सी RDSA MINING LLP से पूर्व में सम्बन्धित प्रत्यावर्तित वनक्षेत्रों में केवल जिला चितौडगढ़ रेन्ज निम्बाहेडा तहसील–भदेसर में रेड ऑकर की 4 खनन लीज एक दूसरे से जुडी हुई 16. 2101 है. वन क्षेत्र में विभिन्न लीज धारको को स्वीकृत होकर तदानुसार वनभूमि का प्रत्यावर्तन वर्ष 2015 में हुआ एवं वर्ष 2018 से खनन कार्य–आरम्भ हुआ, जो अभी प्रारम्भिक अवस्था मे है। मार्च 2019 में उक्त 4 खनन लीजें यूजर एजेन्सी RDSA MINING LLP के नाम हस्तानतरित हुई तब से वन भूमि प्रत्यावर्तन की शर्तो की पालना RDSA MINING LLP द्वार सुनिश्चित की जा रही है। एवं पालना रिर्पोट प्रति वर्ष समय– समय पर उप वन सरक्षंक चितौडगढ एवं खनि अभियंता निम्बाहेडा को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

प्रतापगढ़ जिलें में इस यूजर एजेन्सी की वन क्षेत्र मे पूर्व की कोई लीज स्वीकृत नही है।

iii- प्रत्यावर्तन हेतु चिनहित वन क्षेत्र मे खनन हेतु खान विभाग के प्रावधानों के अनुसार प्रथम पॉच वर्षो हेतु स्वीकृत माईनिग प्लान ऑन लाईन आवेदन के साथ एवं हार्ड कॉपी में भी आप के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसके प्रथम चरण में 4.01 है. क्षेत्र Progressive mine closure plan के अनुसार खनन पिट हेतु चिनहित किया गया है। कृपया नक्शे (Plate no-8) का अवलोकन करावे। तदनुसार ही मोके पर पिट का डिमार्केशन किया जाएगा।

1– वृक्षों की पातन योजना निम्नानुसार प्रस्तावित है।

अ. प्रत्यावर्तन की अंतिम स्वीकृति एवं खनन लीज की स्वीकृति प्राप्त होने के प्रश्चात खनन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रथम वर्ष मे।

क.स	**क्षेत्र का विवरण**	**क्षेत्रफल**	**गणना अनुसार पातन किये जाने वाले वृक्षों एवं पोधो की संख्या**
1	**Mining Pit**	**4.01 Ha**	**1956**
2	**Dump Area**	**1.55 Ha**	**315**
3	**Mineral Stock Yard**	**0.50 Ha**	**491**
4	**Internal roads, Office Building & labour Shades**	**0.25 Ha**	**55**
	Total	**6.31 Ha**	**2817**

ब. पाचं वर्ष पश्चात– द्वितीय चरण में माईनिग प्लान की स्वीकृति के अनुसार–

क.स	**क्षेत्र का विवरण**	**क्षेत्रफल**	**गणना अनुसार पातन किये जाने वाले वृक्षों एवं पोधो की संख्या**
1	Mining Pit एवं अन्य प्रयोजनार्थ	2.5352 Ha	**1189**

नोट– सेफ्टी जोन के 1.571 है. में चिनहित 239 वृक्ष सुरक्षित रखे जायेगे। जो पातन से मुक्त होगें। सेफ्टी जोन में रिक्त स्थानों पर उपयुक्त प्रजातियों के 1570 पौधे भी लगाये जायेंगें।

2– खनन कार्य के प्रश्चात सुधार (Reclamation) की योजनाः–

सुधार (Reclatmation) की योजना स्वीकृति माईनिग प्लान के पेज संख्या 26–28 पर दशाई गई है जिसके अनुसार माइनिग पिट की बेन्चेज पर विभिन्न उपयुक्त प्रजातियों के 3580 पौधो का रोपण किया जाएगा। अन्त में खनन पिट के निचल हिस्से को जल भण्डारण स्त्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा जिसका लाभ समीपवर्ति क्षेत्रों में सिचांई एवं जल स्तर को बढाने में होगा।

iv- कठोर मिट्‌टी (Top soil) एवं उप मिट्‌टी (Sub soil) के भण्डारण एवं निस्तारण की योजना भी स्वीकृत माईनिग प्लान में दशाई गयी है।

अ. **कठोर मिट्‌टी (Top soil) का प्रबन्धन–** चुकि अधिकाश क्षेत्र पथरीला है अतः कठोर मिट्‌टी की मात्रा बहुत अधिक नही है । परन्तु जो भी कठोर मिट्‌टी खनन के दौरान उपलब्ध होगी उसका उपयोग वृक्षारोपण हेतु खोदे जाने वाले गडढो में एवं बेन्चेज पर पौधे रोपित करने में किया जाएगा।

ब. **उप मिट्‌टी (Sub soil) का प्रबन्धन–** चूंकि अधिकांश क्षेत्र पथरीला है अतः कठोर मिट्‌टी हटाये जाने के पश्चात उप मिट्‌टी की मात्रा न्यूनतम ही रहेगी। जिसकी छंटनी कर मिट्टी का उपयोग पौधारोपण में एवं कंकरीट का उपयोग आंतरिक कच्चे मार्गो के संधारण में किया जाएगा।

स. **मक का निस्तारण–** मक का निस्तारण भी स्वीकृत माईनिग प्लान के अनुसार किया जाएगा। मार्बल खण्डा एवं छोटे टुकडों का उपयोग परीक्षण के पश्चात अन्य उद्योगों मे किया जाएगा। एवं शेष अनुपयोगी मक आंतरिक कच्चे मार्गो के संधारण हेतु एवं डम्प एरिया में डाला जाएगा।

इस प्रकार खनन क्षेत्र के बाहर कहीं भी किसी खनन सामग्री या मक का संग्रहण अथवा निस्तारण नहीं किया जाएगा

भवदीय

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
RDSA MINING LLP

RDSA MINING LLP
(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

सत्यमेव जयते

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

E-mail :- dm-pra-rj@nic.in

Fax No- 01478–222262

क्रमांक : राजस्व/FRA–2006/विपथन/2021–22/217 दिनांक :–28.04.2022

निमित्

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

विषय :– वन भूमि के बदले प्रस्तावित गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन/विपथन के संबंध में।
सन्दर्भ :– आपके पत्र क्रमांक :– एफ./तक./उवस./2021–22/2462
दिनांक 13.04.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्रांक के क्रम में निवेदन है कि तहसीलदार धरियावद को कार्यालय के पत्र क्रमांक :– राजस्व/विपथ्सन/2021–22/1969–72 दिनांक 20.4.2022 के द्वारा लिखा जाने पर तहसीलदार धरियावद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक :–राजस्व/2021–22/428–430 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम सेवानगर की आराजी संख्या 68/04 रकबा 38.88 हैक्टर भूमि के राजस्व मानचित्र में वन बन्दोबस्त नक्शे पर वन भूमि की डिमार्केशन लाइन अनुसार वन सीमा का अंकन (तरमीम) की जाकर संशोधित तरमीमशुदा राजस्व मानचित्र मय संशोधित आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रकरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

sd
(गोपाललाल स्वर्णकार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

प्रतिलिपि :– वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी RDSA MINING LLP पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

सत्यमेव जयते

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ (राज.)

E-mail :- dm-pra-rj@nic.in **Fax No-** 01478–222262

कमांक : राजस्व / FRA–2006 / विपथन / 2021–22 / 34-35 दिनांक :- 12/01/2022

निमित्

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

विषय :– वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन / विपथन के लिए उपलब्ध कराए जानें के संबंध में।

सन्दर्भ :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर के पत्र क्रमांक :–RDSA/Mines/21-22/03 दिनांक 12.07.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रांक के क्रम में लेख है कि राजस्थान सरकार खान (ग्रुप–2) विभाग के पत्र क्रमांक :–प.10(6)खान / ग्रुप–2 / 2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा मैसर्स RDSA MINING LLP, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर के पक्ष में निर्देशक, खान एवं भू–विभान विभाग, उदयपुर के पत्र क्रमांक :– निदे / प.2 / प्रताप / डेलि / प्लॉट सं. 01 / 2019 / 2020 / 564 दिनांक 10.12.2020 एवं 376 दिनांक 31.03.2021 से तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के निकटतम ग्राम दांता तहसील पीपलखुंट अन्तर्गत 74.2490 हैक्टर वन भूमि अन्तर्गत डेलिनियेट प्लॉट हेतु LOI जारी करने की मंशा रखती है तथा निर्देशक, खान एवं भू–विभान विभाग, उदयपुर के पत्र समसंख्यक पत्र क्रमांक :– निदे / प.2 / प्रताप / डेलि / प्लॉट सं. 02 / 2019 / 2020 / 563 दिनांक 10.12.2020 एवं 374 दिनांक 31.03.2021 से तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के निकटतम ग्राम केलामेला तहसील पीपलखुंट अन्तर्गत 10.4162 हैक्टर वन भूमि अन्तर्गत डेलिनियेट प्लॉट हेतु LOI जारी करने की मंशा रखती है।

उपर्युक्त वन भूमियों के बदले गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन / विपथन हेतु आवेदक संस्था द्वारा कार्यालय हाजा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध कार्यालय के पत्र क्रमांक :– राजस्व / भू.आ. / 2021–22 / 899–910 दिनांक 13.07.2021 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक :– 1620–31 दिनांक 29.09.2021 तथा पत्र क्रमांक :– 1671–81 दिनांक 14.10.2021 के द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार प्रतापगढ़ को लिखा जाने पर उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक :– राजस्व / 2021 / 2316 दिनांक 26.11.2021 तथा उपखण्ड़ अधिकारी धरियावद के पत्र क्रमांक :– राजस्व / 2021–22 / 09 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा निम्नांकित अनुसार प्रस्तावित प्रयोजनार्थ वन भूमियों के बदले गैर वन भूमियों के विपथन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए है।

क्र. सं	तहसील क्षेत्र	प्रस्तावित भूमियों का विवरण				
		ग्राम भूमि	आराजी संख्या	कुल रकबा हे.	किस्म भूमि	प्रस्तावित रकबा हे.
1	प्रतापगढ़	पाडाखोरा	816	22.12	बिलानाम बंजड़	16.00
2	धरियावद	पहाड़ा	964	13.6290	बिलानाम पहाड़	5.00
3	धरियावद	पहाड़ा	964 / 1	6.4800	बिलानाम पहाड़	5.50
4	धरियावद	पहाड़ा	1457	20.1852	बिलानाम पहाड़	6.00
5	धरियावद	पहाड़ा	1457 / 10	17.2800	बिलानाम पहाड़	11.00
6	धरियावद	पहाड़ा	2070	38.8800	बिलानाम पहाड़	18.00
7	धरियावद	सेवानगर	68 / 4	37.5624	बिलानाम मगरी	10.50
8	धरियावद	मियाला	10	21.6756	बिलानाम मगरी	13.50
	योग		किता 08			85.50

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

अतः उपरोक्तानुसार वन भूमि रकबा के बदले प्रस्तावित/उपलब्ध गैर वन भूमियों के वनोपयोगी होकर उक्त भूमियों को Forest land bank में समायोजित कराने हेतु आपके विभागीय राय टिप्पणी/सहमती-असहमती से अवगत करावें ताकि राज्य सरकार की मंशा अनुसार प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

संलग्न :- निम्नांकित अनुसार

1. प्रस्ताव पत्र उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ दिनांक 26.11.2021
2. रिपोर्ट तहसीलदार, प्रतापगढ़ दिनांक 18.11.2021
3. नकल जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा ट्रेस आराजी संख्या 816 ग्राम मेरियाखेड़ी
4. प्रस्ताव पत्र उपखण्ड अधिकारी, धरियावद दिनांक 07.01.2022
5. नकल जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा ट्रेस समस्त प्रस्तावित आराजीयात ग्राम पहाड़ा, सेवानगर एवं मियाला

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

प्रतिलिपी :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी RDSA MINING LLP पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज-किशनगढ़ जिला अजमेर

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Full Title of the Project: "Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in Favour of RDSA MINING LLP for Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019 in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan".

Proposal No.: FP/RJ/MIN/142600/2021

Date of Proposal: 26/05/2021

Forest Area: 10.4162 Hectare

UNDERTAKING FOR NO DAMADGE AND TRANSPORTATION IN ANY FOREST AREA OTHER THAN DIVERTED

"RDSA MINING LLP, Udaipur, Raj." the user agency hereby undertakes that, we will not use any Forest Land other than diverted for transportation or any other purpose. We will also ensure that no harm will be caused by our labour in nearby forest area other than diverted **"in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan".**

RDSA MINING LLP
(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

Place: Udaipur
Date:

Signature of User Agency
Office Seal

SUPERIMPOSED MAP SHOWING PLOT (2/2019) ON KHASARA MAP
VILLAGE- KELAMELA , TEHSIL - PIPALKHUNTH ,DISTT.- PRATAPGARH (RAJ.)

SCALE 1CM. -40 MTS.

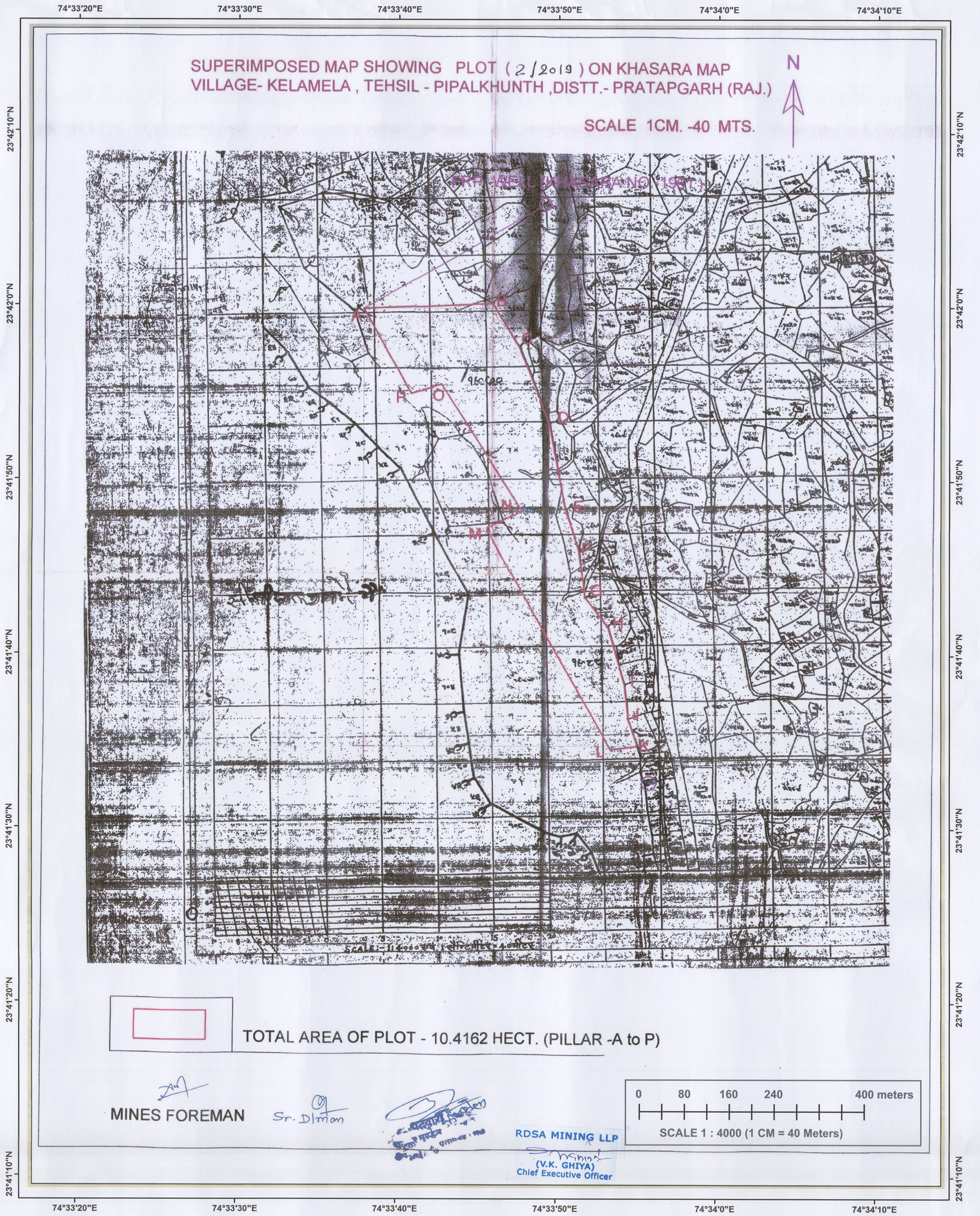

TOTAL AREA OF PLOT - 10.4162 HECT. (PILLAR -A to P)

0	80	160	240	400 meters

SCALE 1 : 4000 (1 CM = 40 Meters)

MINES FOREMAN

Sr. DIMan

RDSA MINING LLP
(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer